वर्ष 10 अंक 10 अक्टूबर 1988 दो रुपये

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग
23-25 सितंबर 1988, धनबाद

अध्यक्षीय भाषण

बी.टी. रणदिवे

कामरेडों,

सबसे पहले मैं सीटू के संस्थापक और इसके प्रथम महासचिव का. पी रामामूर्ति को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं. उनके इन्तकाल के कई महीनों बाद भी न केवल उनकी नामौजूदगी का उसी तरह महसूस किया जा रहा है बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि उनकी मौत से उत्पन्न रिक्तता की भरपाई कर पाना नामुमकिन सा है. दरअसल का. पी रामामूर्ति वर्तमान ट्रेड यूनियन आंदोलनों तथा पिछले समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बीच सेतू थे. मार्क्सवादी-लेनिनवादी चेतना के साथ इन दोनों आंदोलनों से अभिन्न रूप से जुड़े रहने की वजह से उन्होंने अपने देश में साम्राज्यवाद विरोधी मजदूर आंदोलनों तथा साम्य-वादी आंदोलनों की बुनियाद खड़ी करने में निर्णायक भूमिका अदा किये.

साथ ही में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सीटू सहित ट्रेड यूनियन आंदोलनों के नेता का. कृष्णपद घोष को श्रद्धांजली व्यक्त करता हूं.

कामरेड,

सीटू की ओर से मैं बिहार में पिछले महीने आए भूकंप पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. भूकंप से हजारों मकान ध्वस्त हो गए. दस एक हजार लोग बेघर हो गए. जान-माल की भारी बर्बादी हुई. 1934 में आए भूकंप के बाद राज्य को सबसे भयानक भूकंप का सामना करना पड़ा. सीटू, भूकंप से हुए वास्तविक नुकसान पर पर्दा डालने के प्रयास की भर्त्सना करती है तथा यह केन्द्र तथा राज्य सरकार से मांग करती है कि भूकंप से आहत लोगों को इस हादसे से मुक्त करने के कोई भी कसर उठा नहीं रखें. हमारे सभी ट्रेड यूनियन भूकंप ग्रस्त इलाकों में राहत सुविधाएं जुटाने के हर संभव प्रयास करेंगी.

सीटू की ओर से मै असम के बाढ़ पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. बाढ़ से सैकड़ों लोगों की जानें गई और लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए. सभी समर्पित लोगों तथा अपने तमाम ट्रेड यूनियनों से अपेक्षा है कि वे आसाम के लोगों के कष्ट को कम करने के हर सम्भव उपाय करेंगे. सीटू प. बंगाल के बाढ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति तथा अपनी संवेदना प्रकट करती है. इसमें कोई शंका नहीं है कि प. बंगाल की वामपंथी सरकार स्थितियों पर काबू पाने का हर संभव प्रयास कर रही है. प. बंगाल में ट्रेड यूनियन, पीड़ित लोगों की सहायता में आगे है.

हमारी पिछली चंडीगढ बैठक के बाद की घटनाओं से जनता तथा जनतांत्रिक अधिकारों पर तानाशाहीपूर्ण हमले का बड़ा भारी खतरा उभरकर सामने आ गया है. शासक पार्टी ने 59वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया है, जिससे सारे देश की गर्दन पर एमर्जेन्सी की तलवार लटकने लगी है. त्रिपुरा में चुनाव में धांधली, इस नन्हें से राज्य में आतंकराज कायम किया जाना और कामरेड नृपेन चक्रवर्ती पर अमानवीय, घातक हमला इस बात की गंभीर चेतावनी है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में शासक पार्टी किसी भी तरह सत्ता में कायम रहने के लिए जनतांत्रिक ताकतों के दमन की मुहिम में किसी भी तरह के जनतांत्रिक कायदे-कानूनों की परवाह करने नहीं जा रही है.

तानाशाही मुहिम

और अब, नया मानहानि विधेयक लाया गया है, ताकि प्रेस का गला दबाया जा सके, ऐसे वित्तीय घोटालों के भंडाफोड़ को दबाया जा सके, जिनके सिरे प्रशासन के सबसे ऊपर के हलकों तक पहुंचते हैं और सुरक्षा सौदों में भ्रष्टाचार से देश की सुरक्षा के लिए पैदा हो गये खतरे की सच्चाई को बहार आने से रोका जा सके. याद रहे, इन घोटालों के खिलाफ देश भर में विरोध

की एक जायज और जबर्दस्त लहर उठी है. इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार संपादकों, पत्रकारों, प्रेस कर्मचारियों, जनमत तथा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एकजुट कार्रवाई तथा रोष से डर गयी है और मानहानि विधेयक के मामले में अपने पांव पीछे खींचने के लिए तैयार हो रही है. अगर लोकप्रिय प्रतिरोध जारी रहता है और ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है, तो कांग्रेस (आइ) सरकार को यह विधेयक वापस लेने पर मजबूर होना ही पड़ेगा.

लेकिन ये तीन कदम, जनतंत्र को कमजोर करने तथा एक पार्टी शासन का रास्ता बनाने के लिए उठाये गये अकेले कदम नहीं हैं. इनके अलावा नया ट्रेड यूनियनविरोधी विधेयक है, जो सरकार ने उद्योगों में सामूहिक सौदेबाजी पर, ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्रता पर और हड़ताल के अधिकार पर हमला करने के इरादे से तैयार किया है. यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक उपहार है, जिन्हें रिझाने की कोशिशों में सरकार लगी हुई है. सरकार उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि उनके द्वारा मजदूरों के शोषण के लिए मैदान पूरी तरह से साफ कर दिया जायगा और उनके मुनाफे पूरी तरह से सुरक्षित होंगे. इसके साथ ही, अस्पताल तथा अन्य संस्थान विधेयक लाया गया है और यह भी हड़तालों पर पाबन्दी लगाता है. ये दोनों विधेयक जन-आंदोलन की स्वतंत्रता तथा मजदूर वर्ग के संघर्षों पर नये हमले को ही दिखाते हैं. इन विधेयकों का मकसद जनता के बुनियादी जनतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाना है और सभी तबकों को इन विधेयकों को, संगठन बनाने तथा हड़ताल की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हमले के रूप में ही लेना चाहिए. मानहानि विधेयक पर जो एकता देखने में आयी है, अन्य दो विधेयकों के खिलाफ लड़ाई के लिए भी कायम रखी जानी चाहिए, ताकि एकजुट होकर जनता के सभी तबकों के जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जा सके.

बिहार की हालत

और, जब हम जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, तो ट्रेड यूनियनों को, मजदूरवर्ग को और तमाम जनतांत्रिक ताकतों को इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक भारत के देहाती इलाकों में आम आदमी का सवाल है, वह तो हरेक जनतांत्रिक अधिकार से ही वंचित है और उसे हर रोज पुलिस, जमींदारों के गुंडा गिरोहों और डकैतों के गठजोड़ का सामना करना पड़ता है, बिहार इसकी क्लासिक मिसाल है, जहां जमींदारों के गिरोह तथा दूसरे लोग खेतमजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों तथा देहाती जनता के सबसे शोषित तबकों की खुले आम हत्याएं कर रहे हैं, बिहार में हरिजनों के बार-बार के नरसंहार के बावजूद, इन नृशंस अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कभी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है. दूसरी ओर, जो लोग इन नृशंस काली करतूतों के खिलाफ विरोध की आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं, उन्हें फौरन पकड़ लिया जाता है और हर तरह के अपराधिक आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, मेरा इशारा, हिन्दी कवि विद्रोही की ओर है, जो इस समय विभिन्न गंभीर आरोपों में जेल में बन्द हैं, क्योंकि उसने निर्दोष लोगों की हत्या पर विरोध की आवाज उठाने का साहस दिखाया था. बेशक, उसने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कालिख का असाधारण तरीका अपनाया, जो एक सदाकांक्षी कवि के भावुक गुस्से को ही दिखाता है, सभी सदाकांक्षी लोगों को और समूचे ट्रेड यूनिवन आंदोलन को विद्रोही को फौरन रिहा किये जाने की मांग करनी चाहिए और बिहार सरकार से मांग करनी चाहिए कि कवि के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाकर खुद को पाषाण न बनाये.

बिहार की कांग्रेस (आइ) सरकार और बिहार प्रशासन को सारे देश में, पूर्ण कुशासन, भ्रष्टाचार तथा भूस्वामियों के प्रभुत्व का समानार्थी माना जाने लगा है. सीटू की जनरल कांउसिल के इस सत्र को हरिजनों तथा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और बिहार में पुलिस तथा जमींदारों की काली करतूतों के खिलाफ विरोध की आवाज उठाना चाहिए. शायद ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, जहां कुछ मंत्रियों की राजनीतिक भूख को शांत करने के लिए विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों को ऐसे थोक के भाव में बर्खास्त किया गया हो. और तो और, भारत सरकार के केन्द्रीय लेखा आयोग तक को, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति तथा उनके पुनर्वास के प्रति पूर्ण उपेक्षापूर्ण रूख के लिए बिहार सरकार की भर्त्सना करनी पड़ी है.

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष

महासचिव की रिपोर्ट में फूटपरस्त ताकतों के हमले और उनके खिलाफ लड़ाई के तत्काल आवश्यक होने का जिक्र किया गया है. हमारे देश के मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को शायद अब इसका एहसास नहीं है कि सांप्रदायिक, फूटपरस्त तथा पृथकतावादी ताकतों से आ रही चुनौती कितनी गंभीर है. इस चुनौती के पीछे साम्राज्यवाद का हाथ है, जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने पर आमादा है. सभी जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर से प्रशिक्षण तथा पैसा मिल रहा है ओर इस सिलसिले में भारत सरकार बार-बार पाकिस्तान का जिक्र भी करती है, जबकि असली अपराधी अमरीकी साम्राज्यवाद है. फिर भी, हमारे देश में वास्तव में बहुत ही कम लोग हैं, जो इस खतरे को पहचानते हैं और इस खतरे को न पहचानने वालों में विपक्षी पूंजीवादी पार्टियां भी शामिल हैं. यही फूटपरस्त ताकतें हिंदुओं के बीच, मुसलमानों के बीच उपद्रव भड़काती है. ताकि भारतीय एकता की भावना की तोड़ सकें. इस चेतना को तोड़ सके, कि हम सबसे पहले भारतीय हैं. ये ताकतें धर्म तथा जाति की दीवारों से ऊपर उठकर बननेवाली मजदूर वर्ग की और मेहनतकशों की एकता

तथा एकजुटता को भी तोड़ने की कोशिश करती हैं: संघी सांप्रदायिकतावादी और मुस्लिम तत्ववादी, संस्कृति या धर्म का कैसाही स्वांग क्यों न भरें, जनता को विभाजित करने का ही खेल खेलते हैं और साम्राज्यवादियों के ही हित साधते हैं. सीटू, इस खतरे के खिलाफ लड़ने के लिए और देश तथा उसकी एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सीटू के नेता तथा कार्य कर्ता, पंजाब में खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं. दार्जिलिंग में सीटू के झंडे तले लामबंद चाय बागान मजदूरों ने गोरखा पृथकतावादियों का मुकाबला किया, यही बात असम तथा त्रिपुरा में सीटू कार्यकर्ताओं के बारे में कही जा सकती है. लेकिन, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ यह लड़ाई अकेली सीटू को ही नहीं बल्कि समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को चलानी चाहिए. यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है और विशेषाधिकार भी कि सीटू तथा उसकी यूनियनों का बढ़ता प्रभाव फूटपरस्त ताकतों को शिकस्त देने और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत करने के लिए समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट करे.

एक महत्वपूर्ण जीत

दार्जिलिंग के आंदोलन के नेताओं और पश्चिम बंगाल तथा केन्द्र सरकार के बीच एक समझौते पर दस्तखत होने से, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है. यह राष्ट्रीय एकता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण जीत है और यह जीत सी पी आइ (एम) के नेतृत्व में प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा अपनाई गई सही नीति के चलते हुई है. प. बंगाल की वामपंथी ताकतें सिर्फ प्रशासन पर ही निर्भर नहीं हुई. क्योंकि उन्हें मालूम था कि फौरी तौर पर आम जनता के व्यापक हिस्से पृथकतावादी दुहाई के असर में आ गए हैं. इसलिए, विघटनकारीयों की शरारतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल के साथ ही, जनता को जीतने के लिए वामपंथी ताकतों ने राजनीतिक संघर्ष चलाया. उन्होंने, पृथकतावादियों के शारीरिक हमलों का सामना किया तथा प्राणों की आहुति दी और इसके साथ ही विकास के पूंजीवादी रास्ते से उत्पन्न पिछड़े पन के हालात से पैदा होने वाली बास्तविक मांगे पूरी करने के लिए पूरी तत्परता दिखाई जनता के प्रति सही जनतांत्रिक रूख और विघटनकारियों तथा उनके नेताओं के प्रति प्रशासनिक शक्ति के इस योग से ही अंतिम विश्लेषण में जनता, फूटपरस्त ताकतों पर यह जीत हासिल कर सकी. इस सिलसिले में यह गौरतलब है कि प. बंगाल में कांग्रेस (आइ) का संगठन, इस महान लड़ाई में महज मूक दर्शक बना रहा कभी-कभी तो उसने वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ पृथकतावादियों के प्रचार का भी साथ दिया. सच्चाई यह है कि उसने पहले यह उम्मीद की थी कि पृथकताबादियों का तमर्थन करने से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन, आगे चलकर उन्हें इसका एहसास हो गया कि अगर उन्होंने ऐसा किया, तो वे पूरी तरह से बदनाम हो जायेगें. कोई प्रमुख राजनीतिक पार्टी अगर पृथकतावादियों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने से इनकार करती है, वह अपने घोर दिवालियापन और देश की सरकार को चलाने में अपनी पूर्ण अक्षमता का ही प्रदर्शन करती है. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसी दिवालियापन और क्षुद्र स्वार्थपरता के चलते पंजाब समस्या का जनतांत्रिक समाधान अभी तक नहीं निकाला जा सका है. खालिस्तानी पृथकतावादी जिस प्रकार लगातार निर्दोष लोगों की हत्याएं करते रहे हैं. उससे वे अब जनता से बिल्कुल कट गए हैं, फिर भी कांग्रेस (आइ), इस स्थिति का लाभ उठाने में और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई के लिए जनता में विश्वास पैदा करने में विफल है. इसलिए वह, अकाली सांप्रदायिकतावादियों के संदिग्ध किस्म ग्रुपों में से, जिनकी आतंकवादियों के साथ मिलीभगत है, कभी एक ग्रुप का भरोसा करती है और कभी दूसरे ग्रुप का.

इस घटनाक्रम से सीटू तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन के कंधों पर कुछ काम आ जाते हैं: राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना, सारी सांप्रदायिक ताकतों को अलग-थलग डालना तथा साम्राज्यवाद के खेल को बेनकाब करना और कांग्रेस (आइ) को सत्ता से हटाने के लिए तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ एकजुट होना. इस संघर्ष में, वामपंथी पार्टियां तथा वामपंथी ताकतें, सीटू तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, जिनका उन्हें लगातार समर्थन करना चाहिए. ट्रेड यूनियनों के लिए यह अत्यावश्यक है कि दो वामपथी सरकारों—प. बंगाल तथा केरल—के खिलाफ कांग्रेस (आइ) की साजिशों को शिकस्त दें और जनता के हितों की रक्षा के लिए इन सरकारों द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों का प्रचार करें. त्रिपुरा के ट्रेड यूनियन आंदोलन और वहां की जनता की हिफाजत करना और भी जरूरी है, जिन्हें इस समय कांग्रेस (आइ) का घोर आतंक राज झेलना पड़ रहा है. सीटू तथा उससे संबद्ध यूनियनों को त्रिपुरा में जनतंत्र तथा वामपंथी ताकतों पर हो रहे दमन को देश भर में बेनकाब करना चाहिए और त्रिपुरा के मजदूर वर्ग तथा जनता के समर्थन में जनमत को लामबंद करना चाहिए.

गहराता आर्थिक संकट

चण्डीगढ़ बैठक के बाद गुजरे महीनों में, आर्थिक तथा औद्योगिक स्थिति में भारी गिरावट आयी है और हजारों मजदूरों को अकथनीय तकलीफों तथा दरिद्रता का सामना करना पड़ा है. जूट, कपड़ा तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को इस बदहाली की असली झोंक झेलनी पड़ी है. इसके अलावा, डेढ़ लाख से ज्यादा छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठान बीमार हो गये हैं और लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है. हथकरघा, नारियल जटा तथा अन्य परंपरागत उद्योगों की पहले से ही खराब हालत और भी खराब हुई है.

सीटू, जूट तथा सूती कपड़ा उद्योग और छोटे औद्योगिक

प्रतिष्ठानों के मजदूरों के साथ हार्दिक सहानुभूति तथा एकजुटता का इजहार करती है. लेकिन, यह सच है कि संकट इतना बिकराल है कि अकेला ट्रेड यूनियन आंदोलन इसके परिणामों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर सकता है. इससे यही पता चलता है कि संपत्ति के मालिकों तथा मुनाफा बटोरनेवाले वर्ग द्वारा सरकार के आशीर्वाद से किये जाने वाले हमले के सामने मजदूर वर्ग तथा अवाम तब तक असहाय ही रहेंगे, जब तक उनके हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ जाती है. अगर जनता के हाथों में, खासतौर पर देहाती जनता के हाथों में, पर्याप्त क्रय शक्ति हो, तो कम से कम कपड़ा उद्योग का संकट तो आसानी से हल किया ही जा सकता है. कम से कम 27 करोड़ देशवासियों का तो बाजार से और खरीद-फरोख्त से कुछ भी लेना-देना नहीं है. भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण की स्थिति ठीक ऐसी ही है. हरित क्रांति का, कृषि-उत्पादन में बढ़ोत्तरी का सारा लाभ बड़े भूस्वामियों तथा भूस्वामी हितों के पास पहुंचा है और इससे मांग का संकट पैदा हो गया है. बिहार में, जहां पुराने सामंती संबंधों का ही राज चलता है, ऐसे-ऐसे जमींदार पड़े हुए हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है. ये लोग, किसानों तथा खेतमजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं और उनके बिरोध की आवाज उठने पर हत्याएं तक करने में नहीं हिचकते हैं. ऐसे हालात में, किसी तरह से बाजार और कपड़े की मांग के लिए गुन्जाइश ही कहां है ? जूट उद्योग में भी ऐसी ही हालत है और कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं. इसके ऊपर से केंद्र सरकार, कृत्रिम रेशे के बने मालों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इस संकट को और बढ़ा रही है और जूट उत्पादकों तथा जूट मिल मजदूरों, दोनों का ही जीना और मुश्किल बना रही है. इसी तरह, कपड़ा उद्योग में भी कृत्रिम रेशों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इस उद्योग को कपास-उत्पादकों की कपास सप्लाई से स्वतंत्र किया जा सके. जूट तथा कपड़ा उद्योग, दोनों में ही कृत्रिम रेशे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत, भारतीय मालों के निर्यात की आकांक्षा से पैदा हुई है. इस क्रम में कपास तथा जूट-उत्पादक तथा मिल मजदूर, दोनों ही तबाह हुए हैं.

विनाशकारी नीतियां

हमारी चण्डीगढ़ बैठक के बाद की अवधि में मजदूर वर्ग की तकलीफें और बढ़ी हैं और तालाबंदी, मिलबंदी तथा रोजगार छिनने के रूप में हमले और तेज हुए हैं. फिर भी, पूंजीपति-भूस्वामी सरकार या तो तमाशाई बनी बैठी रही है या फिर मजदूर वर्ग की बदहाली और बढ़ाने के ही काम कर रही है. जब तक आर्थिक प्रबंध की राजीव गांधी की नीतियों को शिकस्त नहीं दी जाती है, स्थिति बद से बदतर ही होती जायगी.

ये नीतियां भारत को विदेशी ऋणों के फंदे की ओर ले जा रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था के बिदेशी ऋणों पर ही पूरी तरह से आश्रित हो जाने का खतरा पैदा हो गया है. वह दिन दूर नहीं है, जब भारत को पहले के बकाया ऋणों के भुगतान के लिए ही हर बार, पहले से ज्यादा कर्ज़ लेना पड़ रहा होगा. देश की दशा भी ऋणग्रस्त किसान की सी हो जायगी, जो कर्ज के फंदे से कभी निकल ही नहीं पाता है. विदेशी कर्जों का बोझ 5000 अरब रु. से ऊपर पहुंच चुका है और ऋण संबंधी भुगतान, कुल निर्यात आय के 24 फीसद हिस्से के बराबर पहुंच गये हैं, जो कर्ज के फन्दे में फंसने की आरम्भिक अवस्था का ही संकेत है. याद रहे, ऋण भुगतान का अनुपात 20 फीसद तक पहुंचने को आमतौर पर खतरे की जद में आ जाना समझा जाता है, हालांकि पहले तो यह हिस्सा 6 फीसद से ऊपर निकलते ही विश्व बैंक तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा खतरे के संकेत दिये जाने लगता है कि विदेशी ऋणों की हमारी जरूरत, विश्व बैंक तथा विदेशी निवेशकर्त्ताओं को साल-दर-साल अपनी शर्तें और कड़ी करते जाने के लिए प्रेरित कर रही है. विश्व बैंक तथा सरकारी स्रोतों से मिलने वाले रियायती ऋणों का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है और हमारे देश को बाहर से ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक ऋण लेने पड़ रहे हैं, जिन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और इस तरह ऋण संबंधी भुगतानों का बोझ बढ़ता जा रहा है. यह घटनाक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को विकृत करता है और मजदूरों की मजदूरी तथा रोजगार समेत सारी चीजों की निर्यात बढ़ाने की वेदी पर बलि दिये जाने के हालात पैदा कर देता है. अब आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का मकसद उस हद तक मजदूरों के कल्याण, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी, जनता के लिए रोजगार में बढ़ोतरी, जनता के बीच सार्वजनिक वितरण के लिए मालों में बढ़ोतरी आदि का नहीं रहा है, जितना कि निर्यातों में बढ़ोतरी का है, ताकि ऋण संबंधी भुगतानों का बोझ उठाया जा सके और इसके लिए दूसरे देशों के लोगों की मांग पूरी करने के लिए मालों को उपलब्धता बढ़ाई जा सके, वह भी सबसे कम दरों तथा सबसे सस्ते दामों पर. भारतीय जनता के फौरी हितों पर, ऋण संबंधी भुगतानों तथा निर्यात की जरूरतों पर इस तरह की प्राथमिकता मिलना, दूसरे देशों पर हमारी अर्थव्यस्था की निर्भरता को ही दिखाता है. इसका नतीजा है कि निर्यात के लिए बेहतर किस्म का कपड़ा बनाने वाली सूती मिलें तो मजे में चल रही हैं तथा भारतीय कपड़े का निर्यात भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी अधिकांश सूती कपड़ा मिलें खस्ता हालत में हैं, जो आम आदमी की जरूरत का कपड़ा बनाती हैं. राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें घाटे में चल रही हैं और मजदूरों के सिर पर नयी-नयी मिलबन्दियों की तलवार लटक रही है. कई मिलें तो बंद भी हो चुकी हैं. कपड़ा उद्योग के संकट का मुख्य कारण यही है कि सरकारी करों के जरिये, भूस्वामियों तथा सूदखोरों के शोषण के जरिए, बाजार में कीमतों में हेराफेरी के जरिए तथा किसानों पर व्यापार की प्रतिकूल शर्तें थोपे जाने के जरिये किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि खेतमजदूरों को कोई आर्थिक संरक्षण हासिल नहीं है. पिछले साल भयंकर सूखे के बाद से, देहाती जनता की क्रय शक्ति और घट गयी है. जब देहाती गरीब

जनता, सरकारी गोदामों में जमा अनाज तक नहीं खरीद पायी, तो वह कपड़ा क्या खरीदेगी ?

ऋण के फंदे के खतरे के साथ ही, भुगतान संतुलन की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है. ऋण संबंधी भुगतानों के बोझ, आयात बिल आदि सभी में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि निर्यात पिछड़ते गये हैं. विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष घटता गया है और खतरे के निशान को पार कर गया है. इस स्थिति में अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी आकस्मिक उतार-चढ़ाव आता है, अगर तेल की कीमतों का संकट फूटता है, तो समूची अर्थव्यवस्था पटरी से उतर आयेगी, जनता पर नया बोझ पड़ेगा और बेकारी तथा मिलबंदियों में और बढ़ोतरी होगी.

सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला

इसके साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट किया जाना और तमाम लाभकर इकाइयों को विदेशी फर्मों समेत, निजी क्षेत्रों को सौंपा जाना जारी हैं. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. (बी ई एल) के मजदूरों ने, बी ई एल की तालोजा (महाराष्ट्र) इकाई को संयुक्त क्षेत्र के हवाले करने की केंद्र सरकार की कोशिश के खिलाफ आवाज उठायी है. मजदूरों के प्रतिनिधियों के अनुसार यह इकाई अच्छी तरह चल रही थी, फिर भी सरकार ने इसके शेयर निजी कंपनी को बेचने का फैसला लिया है और बी ई एल के पास सिर्फ 20 फीसद शेयर रह जाने वाले हैं. वास्तव में, शेयरों का बहुमत निजी कंपनी को बेचने के बाद यह प्रतिष्ठान एक संयुक्त प्रतिष्ठान भी नहीं रहेगा, बल्कि निजी प्रतिष्ठान बन जायगा. गौरतलब है कि शेयर एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिये जा रहे हैं. यह सिर्फ निजीकरण ही नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण, राजनीतिक महत्व के प्रतिष्ठानों को विदेशियों के हाथों में, देश की सुरक्षा को विदेशियों के हाथों में बेच डालने की हरकत है. इस सौदे के बारे में इस तरह की अफवाहें हैं कि संबंधित अमरीकी कंपनी ने एक भारतीय कम्पनी के साथ गठजोड़ कर रखा है और इस भारतीय कंपनी के मालिकान के केबीनेट में सर्वोच्च स्तर तक बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के खात्मे का यही अर्थ है. यहां सवाल समाजवाद और पूंजीवाद में से एक के चुनाव का नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता और पर-निर्भरता में से एक के चुनाव का है. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण समाजवादी देशों की मदद से और वह भी ज्यादातर बुनियादी महत्व के उद्योगों में किया गया है, जिनके विकास के बिना भारत पश्चिमी पूंजीवादी देशों पर पूरी तरह से निर्भर हो गया होता. और ठीक इसीलिए, विश्व बैंक खुले तौर पर यह मांग कर रहा है कि समूचा इस्पात उद्योग निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाय. उसकी मांगों के प्रति राजीव सरकार की नीति अनुग्रहणपूर्ण है जो देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही है और अंततः मजदूरों को, बिदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों या भारतीय पूंजीपतियों के ही रहमो-करम पर छोड़ रही है. इसके अलावा विदेशी पूंजी की मांग यह भी है कि मजदूरों को संरक्षण देने वाले कानूनों में ढ़ील दी जाय और हड़तालों, ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कड़ा अंकुश लगाया जाय. राजीव सरकार द्वारा तैयार कराया गया मजदूरविरोधी विधेयक विदेशी पूंजीपतियों को इस बात का यकीन दिलाता है कि श्रम शक्ति पर कड़ा अंकुश लगाया जायगा और उनके मुनाफों के लिए कोई खतरा नहीं रहने दिया जायगा. राष्ट्रीय हित तथा मजदूरों के न्यूनतम हित, दोनों ही आज दांव पर लगे हुए हैं और इस नीति का समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को दृढ़ता के साथ और एकजुट होकर मुकाबला करना होगा. लेकिन इंटक, देश को तथा देश की अर्थिक स्वतंत्रता को बचाने के संघर्ष में आज भी हमारे साथ आने से इंकार करती है. यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रेड यूनियन आंदोलन ने, राजीव सरकार की बुनियादी नीतियों के खिलाफ लड़ने पर गहरायी से विचार भी किया है. मजदूर तथा उनके संगठन, इस मामले को ढ़ीले-ढ़ाले ढंग से ले रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ के नये-नये सौदे हो रहे हैं, जो देश के भविष्य को ही खतरे में डालते हैं. अगस्त के आखिर में प्रेस में यह छपी थी कि इस वर्ष के पहले छः महीनों में जापान, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन तथा अनिवासी भारतीयों के साथ गठजोड़ के सौदों में पिछले साल के मुकाबले स्पष्ट बढ़ोतरी दिखाई देती है. इस साल जनवरी से लेकर जून तक की अवधि में, विदेशी गठजोड़ के 450 सौदों का अनुमोदन किया गया था, जबकि पूरे 1987 के लिए यही संख्या 853 थी. प्रेस के अनुसार, इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि जापान तथा प. जर्मनी के साथ ऐसे सौदों की अचानक बाढ़ सी आ गयी है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये फास्ट चैनेल को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है. कहीं से भी विदेशी पूंजी को न्यौतने की उतावली में भारत अब, सहायता के लिए दो संपन्न पूंजीवादी अव्यवस्थाओं के द्वार खटखटा रहा है.

आयात उदारता की जिस नीति की बड़ी तड़क-भड़क के के साथ घोषणा की गयी थी और जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा था कि इससे विदेशी बाजार में भारतीय उद्योग प्रतियोगिता में ठहर सकेंगे तथा निर्यात बढ़ जायेंगे, उसके ठीक उल्टे नतीजे निकले हैं. आर्थिक पर-निर्भरता बढ़ी है और अनेक भारतीय उद्यमों के लिए खतरा पैदा हो गया है. अब यह साफ हो गया है कि यह नीति विश्व बैंक के दबाव में स्वीकार की गयी थी और इसका भारतीय हितों या भारतीय अर्थव्यवस्था की हिफाजत करने से कुछ लेना-देना नहीं है.

बढ़ते संघर्ष

इन बिगड़े हुए हालात के और बिगड़ते जाने के बीच, जब करीब 2 लाख छोटी-बड़ी इकाइयां बीमार उद्योगों की सूचि में में हैं और रोजगार पाना बहुत ही अनिश्चित हो गया है, हमारा मजदूर वर्ग हड़तालों के जरिये, तालाबंदी के खिलाफ

संघर्ष के जरिए, बहादुरी के साथ लड़ाई चला रहा है, ताकि अपने हितों की, और सबसे बढ़कर अपने संगठन की, हिफाजत कर सके. ट्रेड यूनियन नेताओं के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ उसे अक्सर, दुर्घर्ष तथा साहसपूर्ण लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं. निम्नलिखित आंकड़ों से इसका कुछ अंदाजा लग सकता है कि मजदूर वर्ग ने कैसे लंबी-लंबी और साहसपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं.

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालों में नष्ट श्रम दिन
1985	8,77,945	1,14,86,803 (1.14 करोड़)
1986	14,44,397	1,88,23,648 (1.88 करोड़)
1987	14,94,613	1,40,26,522 (1.4 करोड़)
1988 (जनवरी-मई)	4,63,225	64,01,549 (0.64 करोड़)

इस तरह, सारी प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद आठ से लेकर चौदह लाख तक मजदूर हर साल कार्रवाई के मैदान में उतरे हैं और भूख तथा सारे अभावों को झेलते हुए भी उन्होंने लंबी-लंबी लड़ाइयां चलाई हैं. गौरतलब है कि 1986 तथा 87 के सालों में हड़तालों में हिस्सा लेने वालों की संख्या 1985 के मुकाबले लगभग दुगनी थी और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या भी 30 से 60 फीसद तक बढ़ी हुई थी. 1988 की जनवरी-मई की अवधि में हड़तालें अपेक्षाकृत लंबी-लंबी चली लगती हैं. हड़तालियों की संख्या और नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या की तुलना से यही पैटर्न उभरकर सामने आता है.

बहरहाल, मजदूर वर्ग की बहादुरी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है. उसे तालाबंदियों के रूप में मालिकान के और भी तेज हुए हमले का सामना करना पड़ा है, जिसका मकसद मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को तोड़ना था. तालाबंदियों से पता लगता है कि मजदूर वर्ग को शिकस्त से बचने के लिए किस कदर लंबे संघर्ष चलाने पड़े हैं.

वर्ष	ताला बंदियों से प्रभावित मजदूर	ताला बंदियों में नष्ट हुए श्रम दिन
1985	2,00,856	1,77,52,663 (1.77 करोड़)
1986	2,00,485	1,39,24,580 (1.39 करोड़)
1987	2,75,716	2,14,51,733 (2.14 करोड़)
1988 (जनवरी-मई)	79,243	40,48,239 (0.4 करोड़)

तालाबंदियों से प्रभावित मजदूरों की संख्या, हड़तालों में शामिल हुए मजदूरों से कम रही है, जबकि तालाबंदियों में नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या, हड़तालों में नष्ट हुए श्रम दिनों के मुकाबले, कहीं ज्यादा रही है. 1985 में ताला बंदियों से प्रभावित हुए मजदूरों की संख्या दो लाख के करीब थी, लेकिन उनमें नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख के ऊपर थी. उसी साल में इससे चार गुने ज्यादा मजदूर हड़ताल में शामिल हुए, जबकि उसमें नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या सिर्फ 1 करोड़ 14 लाख रही. 1985 से लगाकर अब तक पूरे दो साल ऐसे गुजरे हैं, जब तालाबंदियों के चलते नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या, हड़तालों में नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या से ज्यादा रही हैं. तालाबंदियां, वर्गीय दमन का हथियार बन गयी हैं.

लचीली कार्यनीति जरूरी

हमारी सीटू यूनियने हरेक संघर्ष में अंत तक मजदूरों का साथ देती हैं और इस लिए मजदूर वर्ग का साहसपूर्ण तथा एकजुट संघर्ष उनके लिए बड़े गर्व की चीज है. फिर भी, मजदूरों के प्रति हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने संघर्ष का इतने पर्याप्त लचीले ढंग से संचालन सुनिश्चित करें कि संघर्षशील मजदूरों को आवश्यक राहत मिले. मिलबंदियां तथा तालाबन्दियां जब महीनों-महीनों तक चलती हैं और उससे मजदूरों के प्रतिरोध की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेने की कोशिश की जा रही होती है, तब लचीली कार्यनीति जरूरी हो जाती है, ताकि संगठन की, मजदूरों की लड़ाकू भावना को बचाया जा सके और उनकी जितनी भी उपलब्धियों को बचाना संभव हो, उन्हें बचाया जा सके. ऐसी भी कुछ मिशालें हैं कि इस तरह की कार्यनीति के अभाव में, स्थिति की सही आकलन के अभाव में और हमले की गहराई तथा गंभीरता की सही समझ के अभाव में ट्रेड यूनियनें मजदूरों से अलग-थलग पड़ गयीं और मजदूरों को अपनी यूनियनों को बरतरफ करके प्रबंधकों के साथ समझौते करने पर मजबूर कर दिया गया. मजदूर अक्सर इस स्थिति में इस कारण धकेल दिये जाते हैं कि हमारे कुछ नेताओं की चालू कार्य नीति के रास्ते पर चलते हुए उन्हें अपनी दयनीय दशा का कोई अंत ही नजर नहीं आता है. ऐसे हालात में मजदूरों को, प्रतिकूल शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं, अपने पांव पीछे खींचने पडते हैं, बल्कि सच तो यह है कि अक्सर पूरी तरह हार माननी पड़ती है. लेकिन, अगर पीछे हटने की हालत में भी मजदूरों की एकता बनी रहे, संगठन में उनका विश्वास बना रहे, तब कुछ प्रतिकूल अर्थिक शर्तों के बाबजूद, लड़ाई में जीत हुई ही मानी जायेगी. नेतृत्व को चाहिए कि प्रतिरोध की ताकत को, मजदूरों के मूड को ठीक-ठीक समझे और ऐसी लचीली कार्यनीति अपनाये, जो मजदूर वर्ग को एकजुट रख सके.

यह सही है कि हर रंग के अवसरवादी पहली परीक्षा आते ही मजदूरों के प्रतिकूल जानेवाले समझौते स्वीकार कर लेते हैं, छंटनी की मालिकान की योजनाओं को आसान बनाते हैं और यह दलील देने लगते हैं कि संकट के दौर में, पीछे हटना आवश्यक और अपरिहार्य है. उनकी तिकड़मों का मकसद यही होता है कि मालिकान के हमले को आसान बनाया जाय.

दूसरी ओर सीटू, मजदूरों की शक्ति तथा प्रतिरोध पर भरोसा करती है और सबसे कठिन हालात में ज्यादा से ज्यादा अनुकूल सौदा हासिल करने की कोशिश करती है अगर जुझारू प्रतिरोध का योग, मजदूरों की प्रतिरोध की क्षमता पर आधारित

लचीली कार्यनीति से नहीं किया जाता है, मजदूरों में झूठी उम्मीदें पैदा होती हैं और उन्हें विनाशकारी समझौतों के लिए फंसा लिया जाता है तथा अक्सर इस चक्कर में उन्हें अपनी प्रोविडेंट फण्ड जमा राशि से हाथ धोना पड़ जाता है. सरकार और मालिकान, अक्सर दोनों ही मजदूर सहकारिताओं की रंगी चुनी तस्वीर पेश करते हैं, ताकि मजदूर बन्द प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए तैयार हो जायं. उन्हें, अपनी जिंदगी भर की बचत का इस्तेमाल करके कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए भी प्रलोभन दिये जाते हैं. मजदूर यह नहीं समझ पाते हैं कि मजदूर सहकारिताएं संकट का सामना नहीं कर सकती हैं. उनका मुकाबला वित्तीय भीमकाय संस्थानों से है, जिनकी पीठ पर सरकार का हाथ है. अनेक मौकों पर मजदूर पहले ही अपनी कुल उपलब्धियों को छोड़ने, वेतन जाम, काम का अतिरिक्त बोझ, महंगाई भत्ता जाम आदि स्वीकार करने पर मजबूर हो सकते हैं. बहरहाल, उन्हें शेयर खरीदने के लिए अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा मालिकान के हाथों में सौंपने से बचाया जाना चाहिए.

एकता की रक्षा और विस्तार की जरूरत

लंबे संघर्ष के दौरान ऐसे विनाशकारी परिणामों से तभी बचा जा सकता है, जब यूनियन मजदूरों के साथ निरंतर संपर्क में रहे, उसे उनके प्रतिरोध के स्तर का ठीक-ठीक पता हो और वह लचीले प्रस्ताव करने में समर्थ हो. बहरहाल, जो भी हो, मजदूरों को इसका अहसास होना चाहिए कि उनकी यूनियन, इस लंबे संघर्ष का व्यावहारिक हल निकालने के लिए लड़ रही हैं. मजदूरों से तब तक इन्तजार नहीं कराया जाना चाहिए, जब तक कि उनके प्रतिरोध की आखिरी बूंद भी निचुड़ नहीं जाती है. मार्क्स के ये शब्द हमें हमेशा याद रखने चाहिए: "समय-समय पर मजदूरों की जीत होती है, हालांकि उनकी जीत अस्थाई होती है. उनकी लड़ाई का असली फल, फौरी सफलता में नहीं होता, बल्कि उनके अपने बढ़ते एकीकरण में होता है."

इसके साथ ही, जिन क्षेत्रों में संकट का प्रभाव इतना गंभीर नहीं है. अपने जुझारूपन से हमारी यूनियनों ने अच्छी जीतें हासिल की हैं. अन्तरिम राहत, उच्चतर वेतन क्रम आदि और अनेक दूसरे लाभों के, अच्छे समझौते जीते हैं. ये वार्ताएं हमें अक्सर दूसरों के साथ मिलकर चलानी पड़ी हैं और अपने कुछ सहयोगी संगठनों के ढुलमुलपन पर काबू पाने के लिए हमें दृढ़ रुख अपनाना पड़ा है.

यह बैठक, कोयला क्षेत्र के गढ़ धनबाद में हो रही है. ऐसे मौके पर में सम्बन्धित कोयला खान मजदूरों की, उनकी यूनियनों की ओर मजदूरों को एकजुट करने तथा उनकी मांगे जीतने में उन्होंने जो जबर्दस्त काम किया है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं. मार्च में हुई उनकी सात दिन की हड़ताल, उनकी एकता की शानदार अभिव्यक्ति थी, जिसका दायरा अनेक संगठनों तक फैला हुआ है. इस्पात उद्योग की हमारी सारी यूनियनों और सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी दूसरी यूनियनों ने मजदूरों को एकजुट करने, उनकी मांगें जीतने और वार्ताओं में एक सिद्धांत निष्ठ रूख अपनाने में जो भूमिका अदा की है, इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, उन्होंने 15 मार्च के भारत बंद को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. मुझे यकीन है कि उनकी वार्त्ताओं में जिन कुछ खामियों का पता चला है, जिनमें मजदूरों के कुछ तबके दूर हुए थे, उन्हें फिर नहीं दोहराया जाएगा.

यह संतोष की बात है कि हमारी राज्य कमेटियां, बेकारी और कामगार महिलाओं के सवालों पर कहीं ज्यादा ध्यान दे रही हैं, फिर भी, कामगार महिलाओं के मसले पर, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें संगठित करने तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय साझेदारी के लिए खींचने के प्रश्न पर, कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. यह याद दिलाना जरूरी है कि इस समस्या को ट्रेड यूनियन आंदोलन की गंभीर समस्या के तौर पर नहीं लिया जाता है और इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने से अपरिहार्य रूप से मजदूर वर्ग की एकता कमजोर होती है. अनेक नेता अब भी सामंती दिमाग तथा जेहनियत से मुक्त नहीं हैं और इस समस्या से उबरना अरूरी है. कामगार महिलाओं के लिए न्यूनतम स्तर पर संगठन तथा मंच प्रदान करके देखिए, इतने से ही आपने ट्रेड यूनियन गतिविधि तथा संगठन के इस महत्बपूर्ण पहलू पर एक नई गति दे दी होगी.

बेकारी का सवाल

महासचिव की रिपोर्ट में बेकारी के सम्बध में हमारी गतिविधियों का जिक्र किया गया है. अनेक राज्यों में, बेरोजगार तथा वारोजगार मजदूरों के बीच की दीवार तोड़ने के लिए आरंभिक कदम भी उठाए जा चुके हैं. लेकिन, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ सांगठनिक पग उठायें. यह जरूरी है कि ट्रेड यूनियनें, डी वाइ एफ आइ, एस एफ आइ तथा महिला संगठनों के सहयोग से, बेरोजगारों के एक संगठन के निर्माण के लिए पग उठायें, जो उनके हितों की रक्षा के लिए लड़ सकें. ट्रेड यूनियनों तथा अन्य संगठनों द्वारा समर्थित इस संगठन को, सरकार पर ऐसी नीतियां अपनाने के लिए दबाव डाले, जिनसे बेकारी बढ़ने पर अकुश लगे और अतिरिक्त रोजगार पैदा हो. ट्रेड यूनियनों को, एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए, जिसमें औद्योगिक तथा ग्रामीण बेरोजगारों को राहत दिलाने के फौरी कार्यक्रमों की रूप रेखा हो. यह जरूरी है कि सरकार के इस दावे को बेनकाब किया जाय कि वह, देहाती इलाकों में बेकारी के खिलाफ लड़ रही है. तत्काल बेकारी राहत के मसले को बेकारों के सामने एक तात्कालिक व्यावहारिक मांग के रूप में रखा जाना चाहिए और प्रचार कार्य के जरिए काम के अधिकार की मांग को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए.

समाजवादी देशों में तो खैर बेकारी की समस्या ही नहीं है, लेकिन विकसित पूंजीबादी देशों में भी, जहां बेकारी लगातार

बनी रही है' कम से कम बेकारी राहत की व्यवस्था तो है. इस सिलसिले में, प्रमुख देशों के राहत के निम्नलिखित आंकड़ों से जब हम अपने देश की मौजूदा स्थिति की तुलना करते हैं, तो आंखें खुल जाती हैं.

देश	*बेकारी राहत का परिणाम*
संघीय जर्मनी	पहले की शुद्ध मजदूरी/स्वतंत्र वेतन का 63 फीसद
अर्जेंटीना	वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के 70 फीसद हिस्से तक
आस्ट्रेलिया	बच्चे की जिम्मेदारी होने पर 97.90 (आस्ट्रेलियाई) डालर प्रति सप्ताह
ब्राजील	पिछले वेतन का 50 फीसद
कनाडा	पहले की औसत आय का 60 फीसद और अधिकतम सीमा 460 डालर प्रति सप्ताह
मिस्र	पहले की मजदूरी का 60 फीसद अगर प्रोवेशन की अवधि में बेकारी हो जाय, तो पहले वेतन का 30 फीसद
स्पेन	पहले छः महीनों में पहले वाली औसत मजदूरी का 80 फीसद, सातवें से बारहवें महीने तक 70 फीसद और तेरहवें महीने से 60 फीसद.
अमरीका	पहले की मजदूरी का लगभग 60 फीसद और अधिकतम 84 से 224 डालर प्रति सप्ताह तक आयातों में बढ़ोतरी के चलते सामूहिक बर्खास्तगी की स्थिति में पहले की मजदूरी के 70 फीसद तक
इटली	पहले की मजदूरी का 80 फीसद, कृषि मजदूरों के मामले में 60 फीसद या प्रादेशिक कृषि मजदूरी का 40 फीसद.
जापान	दिहाड़ी का 80 फीसद उच्चतम वेतन श्रेणियों में दैनिक वेतन का 60 फीसद
ब्रिटेन	पेंशन की उम्र से कम के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति मानक दर का 30 पौंड प्रति सप्ताह पति/पत्नि तथा अन्य आश्रितों वयस्कों के लिए 19 पौंड प्रति सप्ताह बच्चों के लिए 7.10 पौंड प्रति सप्ताह.

लेकिन, भारत में बेकारी राहत का कोई प्रावधान ही नहीं है. नयनार के मुख्य मंत्रीत्व में केरल सरकार द्वारा तथा ज्योति-बसु के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा जो प्रावधान किये गए हैं, महज एक छोटी सी शुरूआत भर हैं. और सिद्धांत रूप में इस अधिकार को ही दिखाते हैं. जाहिर है कि बेकारी राहत के लिए मुख्य साधन तो, इस सिलसिले में एक केन्द्रीय कानून के जरिये केन्द्र सरकार से ही आते हैं लेकिन इस प्रकार के किसी कानून के बनाये जाने का कोई संकेत तक नहीं हैं. केरल तथा प. बंगाल के अलावा, कुछ अन्य राज्यों में भी शहरों में बेकारों को कुछ मामूली सी राहत मिल रही है, वर्त्तमान पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार जनता को राहत देने की राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार ही नहीं करती हैं. ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार तकनीकी में बदलाव लाकर और 21वीं सदी के उपयुक्त आधुनिकरण करके, देश को जब इक्कीसवीं सदी में ले जाएगी, तो देश में बेकारों की भरमार होगी.

बदलते हालात को पहचानों

बढ़ते संकट और फूटपरस्त ताकतों के हमलों की पृष्ठिभूमि में, ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने खड़ी समस्याएं जटिल से जटिलतर होती जा रही है इसके बावजूद, सदस्यता अभियान समेत अपनी आम ट्रेड यूनियन गतिविधियों में हम आज भी पुराने तरीके तथा रवैये पर ही चल रहे हैं और इस सच्चाई को पहचान ही नहीं रहे हैं कि मजदूरों के बीच जाति, धर्म आदि के विभाजन हैं. यानि सामंती विचारधारा का प्रभाव मौजूद हैं. जब तक अल्पसंख्यक समुदाय के मजदूरों तथा पद-दलित जाति के मजदूरों तक पहुंचने की अलग से कोशिश नहीं की जायेगी, सांमंती भेदभाव के चलते उत्पन्न होने वाली उनकी विशेष समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जायेगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन मजदूरों के सभी तबकों तक नही पहुंच पायेगा.

यह देखने में आया है कि हमारी कई सबसे बड़ी तथा सुसंगठित यूनियनें भीं, बड़े उद्योग में कार्यरत कुल मजदूरों में से 50-55 फीसद से ज्यादा को अपनी और नहीं खींच पाती हैं. बरसों से यही स्थिति बनी हुई है और यह पता लगाने पर अलग से कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है. इस कमजोरी के कारणों की पहचान नहीं की गई है इस बीच, फैक्टरियों में मजदूरों की नई पीढ़ियां आ रही है, जिनका दिमाग पहले ही भिन्न किस्म की राजनीतिक और भिन्न किस्म के प्रभावों से ढला है उनकी चेतना तथा उनके राजनीतिक रवैये के गठन पर, शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है और उनके पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए शायद ही कोई प्रयास किया जाता है. इसी का नतीजा है कि चुनाव दर-चुनाव, मजदूर उन राजनीतिक बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं. जो उन्हें विभाजित करती हैं, और एक शक्तिशाली संगठन के रूप में एक-जुट नहीं हो पाते हैं. अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन सचेत रूप से उन पूंजीवादी तथा सामंती प्रभावों के खिलाफ नहीं लड़ता है जो उसके एक हिस्से पर असर जमाये हुए हैं और उन्हें साझा यूनियन में शरीक होने से रोकते हैं, तो वह जल्द ही गतिरोध के बिंदु पर पहुंच जायेगा.

यह जरूरी है कि फूटपरस्त ताकतों के बढ़ते हमले को देखते हुए, जिसका पहला मकसद मजदूर वर्ग की एकता तोड़ना, मेहनतकशों की एकता तोड़ना है, हम अपने आंदोलन तथा प्रचार

के रवैये को बदलें. साथियों, मैं आशा करता हूं कि जनरल काउंसिल के इस सत्र में आप इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश जरूर डालेंगे कि इस समस्या का आपकी यूनियनों पर क्या असर पड़ रहा है. और दूसरों की भी जानकारी बढ़ायेंगे कि इस समस्या के प्रति आप कितने जागरूक हैं और इसका सामना करने के लिए क्या आपने कोई ठोस कदम उठाये हैं.

ट्रेड यूनियन एकता की जरूरत

सीटू राज्य कमेटियों तथा सीटू से सम्बद्ध यूनियनों को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता की लाइन को लगातार आगे बढ़ाया है और कभी-कभी तो भारी उकसावे, कठिनाइयों और हमारे कुछ सहयोगियों के संकीर्ण, दलगत रवैये के बावजूद आगे बढ़ाया है. लेकिन, कुल मिला कर इस पर जोर देना जरूरी है कि मामूली ढुलमुलपने के बावजूद, कुल मिलाकर सीटू ने तथा राष्ट्रीय अभियान समिति में शामिल अन्य सहयोगी संगठनों ने, ट्रेड यूनियन एकता को मजबूत करने के लिए अनवरत प्रयास किये हैं और फौरी मांगों के लिए तथा सरकार के प्रतिक्रियावादी कानूनों के खिलाफ, मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाया है.

केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे ट्रेड यूनियनविरोधी विधेयकों के खिलाफ हाल ही में हुई कन्वेंशन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण की राह पर आगे बढ़ा हुआ एक और कदम था. इसने, मजदूरों के नये तबकों को भी साझा संघर्ष में खींचा है, उन तबकों को जो अब तक राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों से अलग ही रहे थे. ट्रेड यूनियन एकता तथा मजदूर बर्ग की एकता का आह्वान अब केंद्रीय संगठनों का ही आह्वान नहीं रहा है, बल्कि तेजी से लाखों-लाखों मजदूरों की चेतना का हिस्सा बनता जा रहा है, जिन्हें बहुत ही कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, यह हमारे संघर्ष का आवश्यक कर्तव्य है कि संघर्ष को आगे बढ़ाये और यह सुनिश्चित करे कि जो संगठन इस प्रक्रिया से बन रहे हैं, खिचकर उसकी ओर आये और मजदूर वर्ग के व्यापकतर हिस्से इससे प्रेरणा ग्रहण करें. यह दुःख की बात है कि इंटक अब भी साझा संघर्ष में शामिल नहीं हो पायी है, हालांकि उसके नेतृत्व का भी एक हिस्सा मजदूरों पर हो रहे हमलों का प्रतिरोध करने के लिए एकता की जरूरत महसूस करता है. कांग्रेस (आइ) सरकार, इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करती है, ट्रेड यूनियनों की कतारों में फूट डालती है और ट्रेड यूनियनविरोधी कानून थोपने की कोशिश कर रही है. इस स्थिति में सीटू के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि ट्रेड यूनियन एकता के लिए लड़ना जारी रखे.

दूसरे विषयों पर जाने से पहले मै आप सबकी ओर से दसियों लाख किसानों तथा खेतमजदूरों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी फौरी तथा बुनियादी मांगों की ओर ध्यान खींचने के लिए देश भर में गिरफ्तारियां दी हैं सीटू उनकी मांगों को अपना समर्थन देती है और कामना करती है कि वे अपने संघर्ष में सफल हों. सीटू ने अपनी यूनियनों का आह्वान किया था कि किसान आंदोलन को अपना सक्रिय समर्थन दें. सीटू तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को, देहाती जनता के साथ मिलकर संयुक्त गतिविधि विकसित करने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि मजदूर-किसान एकता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो.

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का जिक्र करना चाहूंगा और उन सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना चाहूंगा, जो साम्राज्यवादी निरंकुशता तथा गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं. सीटू ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी निजाम की बार-बार भर्त्सना की है और अभी पिछले दिनों ही दुनिया भर के मजदूर वर्ग के साथ मिलकर नेल्सन मंडेला की रिहाई की मांग के आंदोलन में, हमारी सभी यूनियनों तथा संगठनों ने पूरी तरह से शिरकत की थी.

हमें, पाकिस्तान की जनता तथा वहां के मजदूर वर्ग को शुभकामनाएं देनी चाहिए तथा उसके साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए, जिन्हें आज भी फौजी तानाशाही का शासन झेलना पड़ रहा है. हमें आशा है कि चुनावों के जरिए पाकिस्तान की जनता की जीत होगी और वहां संसदीय व्यवस्था बहाल होगी तथा जनता व मजदूर वर्ग की नागरिक स्वाधीनताएं बहाल होंगी. हमें बंगला देश की बाढ़पीड़ित जनता के साथ भी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए, जिसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और बाढ़ के बाद, अब तरह-तरह की बीमारियों को झेलना पड़ रहा है. बंगला देश की जनता, फौजी तानाशाही के खिलाफ एक बहादुरीपूर्ण संघर्ष चलाती रही है और हम इस संघर्ष में उसकी सफलता की कामना करते हैं. सबसे बढ़कर हम बंगला देश की जन-तांत्रिक तथा प्रगतिशील ताकतों को बधाई देते हैं, जो धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांतों पर कायम रही हैं और जिन्होंने संविधान के इस्लामीकरण का विरोध किया है. उनकी आवाज एक साहसपूर्ण आवाज थी, जिसने ढोंगी कठमुल्लों के हमलों से, जो तानाशाहीपूर्ण शासन को बनाये रखने के लिए धर्म की दुहाई देते हैं, जनतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा की है.

हम, श्रीलंका की वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने भारत-श्रीलंका समझौते की जनतांत्रिक अंतर्वस्तु को ठीक ढंग से पहचानना है और जो इस समझौते की भर्त्सना कर रहे कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रही हैं. भारतीय शांति सेना ने, प्रतिक्रियावादी लिट्टे के खिलाफ लड़ने में अच्छा काम किया है. लिट्टे की गतिविधियां वस्तुगत रूप से, श्रीलंका को विभाजित करने तथा गुलाम बनाने की सामराजी साजिश में ही मदद करती हैं. भारतीय शांति सेना के जिन लोगों ने इन प्रतिक्रियावादी लड़ाकों से

लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, भारतीय जनता तथा श्रीलंका की जनतांत्रिक ताकतों, दोनों की ही कृतज्ञता के पात्र हैं. भारत के इस हस्तक्षेप के बिना, साम्राज्यवादी भाड़े के सिपाहियों ने श्रीलंका को रौंदकर रख दिया होता. सीटू आशा करती है कि तमिल लड़ाके, अपने हथियार डालने तथा आगामी चुनाव में उतरने की तर्कसंगत बात को स्वीकार करेंगे, ताकि श्रीलंका तथा भारत की जनता मिलकर, दोनों देशों के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों का प्रतिरोध कर सके.

हम, सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों को हार्दिक बधाइयां देते हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं कि दुनिया को नाभिकीय युद्ध की विनाशलीला से बचाया जाय. इस सिलसिले में सोवियत संघ ने जो प्रस्ताव किये हैं, उनका समर्थन समूची मानव जाति करती है. लेकिन, यह साफ है कि साम्राज्यवादी निरस्त्रीकरण की सच्ची अपीलों को सुनने के, तमाम नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने तथा दुनिया को युद्ध के खतरे से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं. दुनिया भर में साम्राज्यवाद की लूट-मार भरी गतिविधियां जारी हैं. उसकी नजरों में, अफगानिस्तान के मामले में जेनेवा समझौते का कोई लिहाज नहीं है. वह रंगभेद का और फिलिस्तीनी अरबों के खिलाफ इस्राइली हमले का समर्थन करता है. वह निकारागुआ के खिलाफ, प्रतिक्रांतिकारी ताकतों को समर्थन दे रहा है. वह हर जगह हस्तक्षेप करता है, ताकि दुनिया पर हावी होने की अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सके. हमारे ही उपमहाद्वीप में वह पाकिस्तान को हथियारों से पाट रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच तनाव पैदा किया जा सके और दोनों को ही अपने साधनों का बहुत बड़ा हिस्सा फौजी जखीरे खड़े करने पर लगाना पड़े. जो लोग यह भ्रम पैदा करते हैं कि साम्राज्यवाद अब शांति के मूड में हैं, वे तो तीसरी दुनिया के देशों की एकजुटता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके लिए साम्राज्यवाद का खात्मा करना, जिंदगी और मौत का सवाल है. हमारा अनुभव, अमरीकी पैसे से पाकिस्तान में प्रशिक्षित किये जा रहे खालिस्तानी आतंकवादियों का हमारे देश का अनुभव, यह भ्रम पालने की कोई इजाजत नहीं देता है कि दुनिया भर पर प्रभुत्व कायम करने की ख्वाहिश रखने वालों का मूड अब बदल गया है. इस तरह का भ्रम पालना, अपने देश के साथ, अपनी जनता के साथ और उसकी आजादी के साथ धोखा करना है.

कपड़ा मजदूरों का अखिल भारतीय अधिवेशन

नई कपड़ा नीति 1985 के फल स्वरूप कपड़ा उद्योग खास कर नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के मिलों में उत्पन्न गंभीर संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 4 सितम्बर 88 को सीटू, एटक, एच. एम. एस. और यू. टी. यू. सी. के नेताओं की बैठक हुई जिसमें सीटू के पी. के. गांगुली, तथा रवि सिन्हा; एटक के होमी दाजी, बी. डी. जोशी और टी. एन. सिद्धांत, एच. एम. एस. के महेन्द्र शर्मा और यूटी यूसी के प्रतुल चौधरी ने भाग लिया.

बैठक में यह आम राय थी कि नई कपड़ा नीति के लागू होने के तीन सालों के दौरान कपड़ा उद्योग पर संकट गहराता जा रहा है. इससे उद्योग के तीन क्षेत्रों — मिल उद्योग क्षेत्र, बिजली करघा क्षेत्र तथा हस्त करघा क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है. खुद केन्द्रीय कपड़ा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि पिछले तीन वर्षों में इस उद्योग में बेरोजगारी बढ़कर 1,75,000 हो गई.

सरकार मर्जर के नाम पर एन. टी. सी. के अनेक मिलों को बन्द करने जा रही है जो बेरोजगारी की स्थिति को बढ़ावा ही देगी. सरकार की वर्तमान कपड़ा नीति केवल कपड़ा उद्योग के कुछ गिने चुने एकाधिकारियों को फायदा पहुंचा रही हैं. इन स्थितियों की पृष्ठभूमि पर ट्रेड यूनियनें, कामगारों, कपास उत्पादकों, उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद नई कपड़ा नीति की मांग उठा रही है. यह प्रस्ताबित नीति से ट्रेड यूनियनों की हिस्से दारी बढ़ेगी तथा समूचे कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण संभव हो पाएगा.

इन मांगों को लेकर सीटू, एटक, एच, एम. एस. और यूटी. यूसी. संगठित अभियान चलाने का फैसला किया है. इस अभियान में कपड़ा उद्योग के कामगारों को शामिल करने के लिए कपड़ा मजदूरों का 8 और 9 अक्टूबर को कानपुर में एन. टी. सी. मिलों के कामगारों समेत कपड़ा मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस सम्मेलन में देश के तमाम कपड़ा यूनियनों के नुमांइन्दें भाग लेंगे.

3 करोड़ अफ्रीकी भूखमरी से जुझ रहे हैं

अंगोला से प्रकाशित एक समाचार पत्र के अनुसार 3 करोड़ अफ्रीकी भूखमरी से पीड़ित तथा इतने ही अफ्रीकी भयानक गरीबी में जीबन बसर कर रहे हैं. सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में अंगोला के साथ साथ इथियोपिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, चाड ओर नाइजर है.

अखबार ने बताया इस जन त्रासदी का कारण पश्चिमी देशों की नीतियां, विगत औपनिवेशिक गुलामी के फलस्वरूप उत्पन्न पिछड़ापन, भयानक सालाना सूखा और दूसरे प्राकृतिक विपदाएं हैं. शेत्रीय तनाव और सैनिक अतिक्रमण के कारण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आ पड़ा है. इन कारणों से न केवल जान माल की भारी क्षति पहुंच रही है बल्कि अफ्रीका पर विदेशी कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीका महादेश पर बिदेशी कर्ज का बोझ 1990 तक 275 खरब डालर हो जायगा.

ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण करो

* राष्ट्रीय एकता की रक्षा करो
* सर्वाजनिक क्षेत्र की रक्षा करो
* बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करो
* शांति आंदोलनों को आगे बढ़ाओ

सीटू की जनरल काउंसिल की मीटिंग 23 से 25 सितंबर 1988 तक धनबाद में सम्पन्न हुआ. सभास्थल को का. पी राममूर्ती नगर नाम दिया गया. बैठक में 227 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 27 विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित थे. सबसे पहले का. बी टी रणदिवे द्वारा लाल झंडा फहराये जाने और शहीद वेदी पर फूल-मालाएं चढ़ाए जाने के साथ ही बैठक की शुरूआत हुई. स्वागत समिति के अध्यक्ष ए के राय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

इसके बाद, का. बी टी आर ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया (जो इसी अंक में प्रकाशित किया गया है) इसके बाद, सभा ने दिवंगत का पी राममूर्ती, का. कृष्णपद घोष एवं पंजाब, त्रिपुरा और दार्जिलिंग में फूटपमस्त एवं अलगाववादी तत्वों के हमले का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले शहीदों एवं गुण्डों के हमले के शिकार हुए साथियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया.

क्रेडेंसियल कमेटी, प्रस्ताव समिति एवं विदेशों के विरादराना संगठनों में जाने के लिए सीटू के प्रतिनिधियों के नामजदगी के बाद का. समर मुखर्जी ने अपना महासचिवीय रिपोर्ट पेश किया.

महासचिव की रिपोर्ट : रिपोर्ट में चंडीगढ़ में आयोजित कार्यकारिणी समिति की मीटिंग के बाद हुई घटनाओं का विश्लेषण किया गया तथा इसके परिप्रेक्ष्य में सीटू की गतिविधियों की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि इस दौरान जन आंदोलनों में व्यापक तौर से उभार देखा गया. 9 दिसम्बर की रैली तथा भारत बंद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी तबकों के लोगों की मांगों को उठाने की दिशा में चारों वाम पंथी पार्टियों — सी पी एम, सी पी आई, आर एस पी और फारवर्ड ब्लाक तथा उनकी जन संगठनों की एकजुट कार्रवाई से आयोजित यह अभी तक की सबसे बड़ी आवामी घटना है. दो अंकों वाला मुद्रास्फीति, तेजी से बढ़ती महंगाई, बढ़ते बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर उद्योगों का बीमार होना, तालाबन्दी तथा मिलबंदियों की बढ़ती घटनाओं, विघटनकारी ताकतों के प्रति सरकार का समझौतावादी रवैया, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर लोग जागरूक हुए हैं जिसकी वजह से राजीव गांधी को हटाने की जोरदार मांग उठी है.

इस अवधि के दौरान तीन महत्वपूर्ण विरोधी कार्रवाई —भारत बन्द, सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों की हड़ताल और कोयला मजदूरों की हड़ताल को शानदार कामयाबी मिली है इसका कारण कामगारों का परस्पर सहयोग था. उन्होंने इंटक की हड़ताल तथा जन अभियान का विरोध करने तथा इन जनतांत्रिक आंदोलनों को राष्ट्रविरोधी तथा विरोधी करार देने के लिए तीव्र भर्त्सना की. इंटक के ऐसे जनविरोधी कार्य से जनता की मांगों तथा कामगार तबकों के प्रति उसके नापाक इरादे नंगे हो चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आवाम के विरुद्ध दमनकारी शक्तियों के इस्तेमाल करने के कारण सरकार की अधिनायकवादी चरित्र भी सामने आ चुका है.

आंदोलनों की सफलता की समीक्षा करते हुए समर मुखर्जी ने कहा कि बामपंथ ने कुशलता से शासन चलाने की क्षमता तथा विघटनकारी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को शिकस्त देने के लिए अपने साथी संगठनों को एकजुट करने की दक्षता सिद्ध करके कांग्रेस का विकल्प बनने का रास्ता प्रशस्त कर चुकी है. उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सीटू को बधाई देते हुए उन्होंने सीटू से मजदूर संगठनों की एकता तथा कामगारों को जागरूक बनाने, उन्हें दिशा निर्देश देने तथा उन्हें सक्रीय बनाने के साथ साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों को नाकाम करने के लिए संगठित संघर्ष चलाने का बीड़ा उठाने की अपील की.

मजदूर विरोधी कानूनों जैसे—ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून, हास्पीटल और अन्य संस्थान कानून इत्यादि का जिक्र करते हुए समर मुखर्जी ने कहा कि 14 जुलाई का अधिवेशन ट्रेड यूनियनों की एकता तथा राष्ट्रीय अभियान समिति के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय कदम था. इससे मजदूरों के संगठित संघर्षों के विकास के मद में ट्रेड यूनियनों तथा संगठनों के व्यापक सहयोग की संभावना सामने आई. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने मजदूरों के जुझारू आंदोलनों तथा हड़ताल करने के उनके अधिकारों को कुचलने के लिए ये काले कानून लाए हैं. मानहानि विधेयक के खिलाफ प्रेस के दृढ़ संकल्प तथा संगठित विरोध की मिशाल देते हुए, जिसके कारण सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा, उन्होंने सीटू के संगठनों से अपील की कि मज़दूर विरोधी काले कानूनों की वापसी के मुद्दे पर कामगारों तथा दूसरे ट्रेड यूनियनों को संगठित करके सतत संघर्ष चलाने के काम को बिल की वापसी तक जारी रखें.

इसके बाद का. समर मुखर्जी ने त्रिपुरा में एक तरह से फासिस्टवादी आतंक राज कायम किए जाने के बारे में बताया जहां सीटू तथा सी पी आइ (एम) के बहुत सारे कैडर मारे गये हैं, सीटू यूनियनों पर कब्जा कर लिया गया है तथा अनेक सीटू यूनियनों को गैरपंजीकृत कर दिया गया है. इस अर्द्धफासी आतंक

का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए सीटू की राज्य कमेटी तथा यूनियनों को बधाई देते हुए उन्होंने अन्य तमाम राज्य कनेटियों का आह्वान किया कि वे त्रिपुरा के साथियों के संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करें और इस आतंकराज के विरोध में अपनी सशक्त आवाज को बुलंद करें.

उद्योगों की बंदी, तालाबंदी और बीमार उद्योगों की चर्चा करते हुए का. समर मुखर्जी ने ऐसे कई आंकड़ों का हवाला दिया जो 1980 के बाद से इन घटनाओं की बढ़ोतरी को दिखाता है और यह पूंजीवादी रास्ते पर चलने का ही परिणाम है. उन्होंने सीटू की राज्य समितियों से अपील की कि वे उद्योगों की तालाबन्दी को रोकने तथा बंद इकाइयों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर सभी ट्रेड यूनियनों को एकजुट करते हुए लगातार संघर्ष का कार्यक्रम लें.

इस रिपोर्ट में बढ़ते बेरोजगारी के सवालों की विस्तार से चर्चा की गयी है. शहरी निवंधित बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक तथा ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या करीब 6 करोड़ हो चुकी है. का. समर मुखर्जी ने चिंता व्यक्त की कि न तो सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हो उल्टे सरकार की कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की नीति के कारण भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या विकास के पूंजीबादी नीतियों की बहुपक्षीय संकट का सबसे भयानक नतीजा है. यह समूची अर्थ-व्यवस्था और ट्रेड यूनियन आंदोलन को खतरे में डाल सकता है. उन्होंने सीटू की राज्य समितियों को याद दिलाया कि बम्बई कांफ्रेंस में बेरोजगारी के सवाल पर संसद तक मार्च करने की अपील की गयी थी. काम के अधिकार और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की मांग को उठाते हुए उन्होंने इस अपील को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सतत संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया. इससे बेरोजगार तबकों को साझा ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल होने का प्रोत्साहन मिलेगा.

विघटनकारी तत्वों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट ने पंजाब की समस्याओं को उठाया है. पंजाब की स्थिति राष्ट्रपति शासन के बाद और बिगड़ रही है. का. समर मुखर्जी ने पंजाब राज्य शाखा द्वारा चलाए गये दृढ़तापूर्ण संघर्ष की तारीफ की और देश की एकता तथा अखण्डता की रक्षा में अपने जान की बलि लगा देने वाले शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित किया. उन्होंने पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर 59वां संविधान संशोधन, लाने के लिए केन्द्र की कांग्रेसी सरकार की भर्त्सना की. इस संशोवन का उद्देश्य आपातस्थिति लगाने की शक्ति प्राप्त करना है ताकि राज्य में आतंकवाद से लड़ रहे लोक-तांत्रिक और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को कुचला जा सके.

त्रिपुरा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में टी. एन. बी. से सांठ-गांठ करके राजीव सरकार के षड्यंत्र का जिक्र किया गया है. दार्जिलिंग का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में जी. एन. एल. एफ. आतंकवादियों की हिंसक गतिविधियों के बारे में बताया गया. इन आतंकवादियों ने लगभग 80 कैडरों को मौत के घाट उतार दिया तथा हजारों लोगों को बेघर बना दिया. करोड़ों रूपये की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने चाय बगान के मजदूरों के अनेक बहादुराना संघर्ष तथा बामपंथी सरकार की पहलकदमी की तारीफ करते हुए कहा कि इसके कारण ही दार्जिलिंग समझौता संभव हो पाया. यह बंगाल के मजदूरों और बामपंथी सरकार को जीत तथा राजीव गांधी के पृथकतावादी ताकतों के साथ सांठ-गांठ करने की नीतियों की शिकस्त है. का. समर मुखर्जी ने कहा कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब पुनरूत्थानवादी ताकतों, हिन्दू सांप्रदायिकतावादियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों सर उठा रही हैं और राजीव सरकार इन सभी पुरानपंथी ताकतों के आगे घुटने टेक रहे हैं. उन्होंने साम्राज्यवादी एजेंसियों की अस्थिरतावादी चालों को नाकाम करने तथा इन एजेंसियों के साथ कांग्रेस सरकार की मिलीभगत को पर्दाफास करने के लिए संघर्ष चलाने के साथ साथ सभी राज्यों में विघटनकारी और फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष चलाने की अपील की.

रिपोर्ट में नई कपड़ा नीति के कारण कपड़ा उद्योगों में गहराते संकट का बिस्तार से उल्लेख किया गया है. यह नीति संगठित मिल उद्योग, बिजली करघा क्षेत्र और हस्तकरघा क्षेत्र जैसी सभी औद्योगिक क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालेगा. उद्योगों में बेरोजगारों की संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है. अधिकांश एन. टी. सी. मिलें बीमार बना दी गई हैं. अनेक कपड़ा मिलों को मिलाने की सरकार की योजना का खतरनाक नतीजा मिलों में तालाबंदो और बेरोजगारी के रूप में सामने आएगा. इस स्थिति में एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में सीटू के लगातार प्रयास का हवाला दिया गया है. इसकी वजह से एटक तथा एच. एम. एस. के साथ 8-9 अक्टूबर को कानपुर अधिवेशन की संभावना पक्की हो पाई. उन्होंने सीटू राज्य समितियों से अपील की कि वे इस अधिवेशन की सफलता के लिए पूरी संख्या में अपने नुमांइदे भेजें.

रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं को, असंगठित मजदूरों को संगठित करने, न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष चलाने, वाम पंथी मांगों का समर्थन करने आदि मुद्दों को उठाया गया है. रिपोर्ट में वामपंथी रूझान के किसान और खेतिहर मजदूरों के देश-व्यापी आंदोलन के लिए बधाई दिया गया हैं तथा सीटू के कार्यकर्त्ताओं को इस आंदोलन के समर्थन में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सलामी दी गई है तथा उनके साथ एकजुट होकर लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील की गई है.

का. समर मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का खुलाशा करते हुए रिपोर्ट में कहा कि एस डी आई कार्यक्रम को आगे बढ़ाना दुनिया पर वर्वस्व कायम करने की अमरीकी साम्राज्य-वादी मुहिम का ही द्योतक है और इसलिए उन्होंने शांति आंदो-लनों को और तेज करने का आह्वान किया.

रिपोर्ट के समाहार में का. समर मुखर्जी ने ट्रेड यूनियन एकता को और भी विकसित करने का आह्वान किया और कन्फेडरेशन बनाने की सीटू के आह्वान को फिर से दुहराया. वर्तमान परिस्थिति में, उन्होंने कहा कि हमें ट्रेड यूनियनों एवं वाम जनवादी ताकतों की एकता के लिए और एक कार्यकारी विकल्प का रास्ता तैयार करने के लिए धर्मनिरपेक्ष विपक्षी ताकतों के साथ उनकी एकता कायम करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना चाहिए. उन्होंने, सीटू के लिए निम्न-लिखित फौरी कामों को सुझाया :

1. अपनी स्वतंत्र गतिविधियों को बढ़ाओ तथा ट्रेड यूनियन एकता की व्यापक लामबंदी के लिए, राजीव सरकार की इस्तीफे की मुख्य मांग पर, संघर्ष का निर्माण करो.

2. ट्रेड यूनियन विरोधी बिल को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग पर हड़ताल की तैयारी के लिए मजदूरों को लाम-बंद करने का प्रयास जारी रखो.

3. बेरोजगारी के खिलाफ कार्रवाई का कार्यक्रम तैयार करो.

4. असंगठित मजदूरों के संदर्भ में कारगर कदम उठाओ.

5. ट्रेड यूनियनों में अल्पसंख्यकों, खासकर अनुसूचित जाति व जनजातियों के सवाल पर ध्यान दो.

6. समन्वय समितियों के कामकाज को चुस्त-दुरस्त करते हुए कामगार महिलाओं के संदर्भ में गतिविधियों को तेज करो.

7. खाखकर एन टी सी के संदर्भ में, कपड़ा उद्योग के सवाल पर विचार करो और इस उद्योग द्वारा सामना की जा रही संकट के हर मुद्दे पर और मजदूरों की इससे तत्काल निजात दिलाने के उपायों के बारे में रिपोर्ट तैयार करो. यह बहुत जरूरी है ताकि शुरूआती तौर पर कानपुर सम्मेलन में कुछ ठोस कदम उठाया जा सके.

सार्वजनिक क्षेत्र पर का. एम के पंधे ने, रिपोर्ट पेश किया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने और इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ के लिए सरकार की लगातार मुहिम के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया. इस सिलसिले में उन्होंने नेशनल मैनेजमेंट डेबलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र किया जिसके तहत सरकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इकाइयों के अफसरान को अमरीकी माडल में प्रशिक्षित करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञों को लगाने जा रही है. उन्होंने कहा कि स्टील आयरिटी ऑफ इण्डिया ने आर्थर डीलिट्ल नाम के एक अमरीकी विशेषज्ञ को इस्पात उद्योग में सुरक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त कर भी दिया है. इसी अमरीकी विशेषज्ञ को भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए यूनियन कार्बाइड ने लगाया था और इसने अपनी रिपोर्ट में इस त्रासदी के लिए एक भारतीय कर्मचारी को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि बिश्व बैंक, इस्पात उद्योग समेत कई प्रमुख उद्योगों का निजीकरण के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रही है. इसी संदर्भ में उन्होंने स्कूटरस इण्डिया, भारत इलेक्ट्रोनिक्स के तलोजा इकाई के निजीकरण किए जाने की मिसाल को रखा. अपने रिपोर्ट में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष और अंतरिम राहत, वेतन वार्ता, महंगाई भत्ते का पूर्ण निष्प्र-भावीकरण के सवाल पर उनके तीन दिन को शानदार हड़ताल के बारे में भी बताया और देश के सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए मजदूरों को लामबंद होने का आह्वान किया. इस संदर्भ में उन्होंने ट्रेड यूनियनों को एकजुट करने की सीटू द्वारा किए गये प्रयासों की सराहना की और राजनीतिक लगन से इस काम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

कामगार महिलाओं और आंगनबाड़ी (आइ सी डी एस) कामगारों के संदर्भ में का. विमल रणदिवे ने रिपोर्ट पेश की. जनरल कउंसिल की बैठक के अगले दिन कामगार महिला समन्वय समिति और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं की एक बैठक भी हुई. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कामकाजी महिलाओं की ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होने की दिशा में राज्य कमेटियों, समन्वय समितियों और अन्य कई फेडरेशनों के प्रयासों का खुलाशा करते हुए इन प्रयासों को और तेज करने पर बल दिया.

जनरल काउंसिल ने, बिहार राज्य सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर, विश्व शांति आंदोलन पर, सार्वजनिक क्षेत्र पर, दार्जिलिंग समझौते पर, ट्रेड-यूनियन विरोधी बिल पर, त्रिपुरा पर, न्यूनतम मजदूरी पर प्रस्ताव पारित किया और अन्य अनेक प्रस्तावों को अंतिमरूप देकर, इसे जनरल काउंसिल द्वारा पारित समझे जाने के लिए, सेक्रेटेरियट को जिम्मेदारी सौंपी है.

रिपोर्ट पर हुई बहस में सभी राज्य कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बाद में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

कोषाध्यक्ष का. ई बालानंदन द्वारा पेश रिपोर्ट पर सुधार के कुछ सुझाव दिये जाने के साथ इसे भी पारित किया गया.

रिपोर्ट पर हुई बहस का जबाब देते हुए अपने समापन भाषण में का. समर मुखर्जी ने कहा कि संघर्षों का सही समीक्षा करते हुए हमारे राज्य कमेटियों को और विस्तृत रूप से इस पर रिपोर्ट तैयार करना चाहिए. मजदूर वर्ग के ऊपर बढ़ते हमले को शिकस्त देने के लिए व्यापक ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने सीटू द्वारा कन्फेडरेशन के गठन के सुझाव को फिर दोहराया और कहा कि सर्वभारतीय स्तर पर एक सशक्त मजदूर आंदोलन तभी पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकेगा.

धनबाद के पोलोग्राउंड में 24 सितम्बर को आयोजित विशाल आम सभा में कोलियरी क्षेत्र के मजदूर, हाथों में लाल झंडा लिए, भारी तादाद में शामिल हुए. इस आम सभा को का. बी टी आर, का. समर मुखर्जी, का. ई के नयनार, का. शांति घटक एवं अन्यों ने सम्बोधित किया.